(2018)4 एस.सी.आर. 496

ए.एम/एस.बी. हिम्मतलाल अग्रवाल

बनाम

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एवं ए.एन.आर.(2018 की सिविल अपील संख्या 5029) बी 18 मई, 2018

[ए0 सीकरी और अशोक भूषण, जे.जे.]

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002: धारा 53 बी – स्थगन आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए लगाई गई शर्तों का पालन न करने के लिए खारिज करने के लिए कहा गया: शर्त स्थगन के आदेश से जुड़ी थी और अपील पर विचार करने के लिए नहीं – इसलिए, शर्त का पालन न करने पर अपील खारिज नहीं होगी। अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनर्धारिति किया: 1. प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 53 बी के तहत अपील दायर करके चुनौती दी गई थी। धारा 53 बी इसमें उल्लिखित किसी भी पीड़ित पक्ष को अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने का अधिकार प्रदान करती है। यह सांविधिक प्रावधान अपील पर विचार करने के लिए पूर्व–जमा की कोई शर्त नहीं लगाता है। इसलिए, अपील दायर करने और गुण–दोष के आधार पर उक्त अपील पर निर्णय लेने का अधिकार, यदि यह सीमा की अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो कानून द्वारा प्रदत्त है और इसे राशि जमा करने की शर्त लगाकर नहीं छीना जा सकता है, जिससे उक्त शर्त पूरी न होने पर मुख्य अपील को खारिज कर दिया जा सकता है। धारा 53 बी एफ की उप–धारा (3) विशेष रूप से अपीलीय न्यायाधिकरण पर अपील पर आदेश पारित करने का कर्तव्य डालती है, जैसा कि वह उचित समझता है यानी या तो निर्देश, निर्णय या आदेश के खिलाफ पुष्टि करना, संशोधित करना या रद्द करना। अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसा किया जाना है। इस प्रकार, इसका स्पष्ट अर्थ है कि अपील का निर्णय गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। अपीलीय अधिकरण, जो एक विधायन द्वारा निर्मित है, को कानून/सांविधिक प्रावधान द्वारा निर्धारित क्षेत्र के भीतर कार्य करना होता है। यह प्रावधान कहीं भी यह निर्धारित नहीं करता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलकर्ता को अपील की सुनवाई के लिए एक शर्त के रूप में एक निश्चित राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है। [पैरा 6 और 7] [499–एफ; 501–ए–डी] एच 496 मैसर्स बी हिम्मतलाल अग्रवाल बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा

2. वर्तमान मामले में, जमा की शर्त रोक के आदेश के साथ संलग्न की गई थी। उक्त शर्त का अनुपालन न करने की स्थिति में, परिणाम यह होगा कि स्थगन का क्रियान्वयन बंद हो गया है क्योंकि रहने की शर्त पूरी नहीं हुई है। तथापि, जहां तक मुख्य अपील का संबंध है, स्थगन के सशर्त आदेश का अनुपालन न करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, अधिक से अधिक, स्टे को अपास्त किया जा सकता था। इस प्रकार, अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अपील को खारिज करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। अपील पुर्नस्थापित की जाती है जिसे अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा गुण–दोष के आधार पर तय किया जाएगा। [पैरा 6, 7 और 9] [499–H; 500–A; 501–E;502–A]सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की सिविल अपील संख्या 5029

2017 के सीओए नंबर 24 में 2017 के आईए नंबर 84 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के उच्च न्यायालय के 21.12.2017 के फैसले और आदेश से।

मोहित चौधरी, कुणाल सचदेवा, सुश्री मंजू जेटली, सुश्री पूजा शर्मा, सुश्री तृप्ति पोद्दार, बलविंदर सिंह, अपीलकर्ता के वकील।

उत्तरदाताओं के लिए अर्जुन कृष्णन, अंकुर सिंह, सुमित श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय ए०के०सीकरी जे द्वारा सुनाया गया।

1. इस अपील में विचार के लिए कानून का एक स्पष्ट प्रश्न यह उठता है कि क्या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (जिसे बाद में "अपीलीय न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) का आदेश अपीलकर्ता की मुख्य अपील को खारिज कर देता है क्योंकि स्थगन देने की शर्त के रूप में राशि जमा करने के निर्देश का पालन नहीं किया जाता है। उचित और कानूनी है।

2. इस प्रश्न को तय करने के लिए, तथ्यात्मक मैट्रिक्स का विस्तार से जायजा लेना आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित तथ्यों का वर्णन, जो इस अपील पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त हैं, पर्याप्त होंगे। अपीलकर्ता एक साझेदारी फर्म है, जो 1981 से कोयले और रेत के परिवहन के व्यवसाय में लगी हुई है। जून, 2014 में, अपीलकर्ता फर्म ने प्रतिवादी नंबर 2 यानी मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा जारी दो निविदाओं में भाग लिया, जिनकी संख्या 03/2014-15 और 06/2014-15 थी। अपीलकर्ता फर्म एल-2 थी और निविदाओं के आवंटन के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली नहीं थी। 2015 में, अपीलकर्ता फर्म सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 4 एस.सी.आर. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली (जिसे बाद में 'सीसीआई' के रूप में संदर्भित किया गया है) से एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 के साथ पढ़ी गई धारा 19 (1) (ए) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित)। उक्त नोटिस में, यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता फर्म नौ अन्य फर्मों के साथ मिलकर प्रतिस्पर्धा विरोधी और अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल थी। अपीलकर्ता फर्म ने अपना जवाब दाखिल किया। सीसीआई ने इस पर विचार करने के बाद अधिनियम की धारा 26 के तहत आदेश पारित किए और सीसीआई के महानिदेशक (डीजी) द्वारा जांच करने का निर्देश दिया। महानिदेशक ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उनके निष्कर्ष इस आशय के थे कि अपीलकर्ता अन्य फर्मों के साथ मिलकर प्रतिस्पर्धा विरोधी और अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त था। अपीलकर्ता को इस पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया था। उन आपत्तियों पर विचार करने के बाद, सीसीआई ने 14 सितंबर, 2017 को डीजी के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए आदेश पारित किए और अपीलकर्ता फर्म के साथ-साथ नौ पक्षों पर जुर्माना लगाया। जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, 361 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

3. अपीलकर्ता ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष इसके खिलाफ वैधानिक अपील दायर की, जिसे प्रतिस्पर्धा अपील (एटी) संख्या 24/2017 के रूप में पंजीकृत किया गया था। अपीलकर्ता ने जुर्माना आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का भी अनुरोध किया। दाखिल के साथ-साथ स्थगन पर भी दलीलें सुनी गईं। 20 नवंबर, 2017 के आदेशों के तहत, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपील को स्वीकार कर लिया। अदालत ने सीसीआई के आदेशों पर

इस शर्त के साथ रोक लगा दी कि सीसीएल द्वारा लगाए गए कुल जुर्माने का 10% (यानी 36,12,222/- रुपये की राशि) दो सप्ताह के भीतर यानी 4 दिसंबर, 2017 तक अपीलकर्ता द्वारा भुगतान किया जाना है। अपीलकर्ता जमा की उक्त शर्त को पूरा नहीं कर सका। जब 4 दिसंबर, 2017 को मामले की सुनवाई हुई, तो अपीलकर्ता ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अनुरोध किया कि वित्तीय संकट के कारण गैर-अनुपालन जिसका अपीलकर्ता सामना कर रहा था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने हालांकि 4 दिसंबर, 2017 को निम्नलिखित आशय के आदेश पारित किए: "अंतिम अवसर के रूप में, अपीलकर्ता को जुर्माना राशि का 10% जमा करने के लिए 20 दिसंबर, 2017 तक का समय दिया गया है, जिसमें विफल रहने पर, अपील को पीठ को आगे भेजे बिना निपटाया जाता है"।

4. अपीलकर्ता के अनुसार, चूंकि वह गहरे वित्तीय संकट में था, इसलिए वह सभी नेक इरादों के बावजूद 20 दिसंबर, 2017 तक राशि जमा नहीं कर सका। अपीलकर्ता ने तदनुसार एलए दायर किया। मेसर्स बी हिम्मतलाल अग्रवाल बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और एएनआर पर 2017 की संख्या 84 । [ए.के. सीकरी, जे.] 18 दिसंबर, 2017 को 4 दिसंबर, 2017 के आदेशों में संशोधन की मांग। उक्त आवेदन में कहा गया था कि उसे वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 3,72,45,393.94 रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था और इसलिए, उक्त राशि जमा करने की स्थिति में नहीं था। अपीलकर्ता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया और 21 दिसंबर, 2017 के आदेशों के माध्यम से, अपीलीय न्यायाधिकरण ने एलए को खारिज कर दिया है। 2017 का नंबर 84। साथ ही उसने चार दिसंबर, 2017 के अपने आदेश का पालन नहीं करने के लिए अपीलकर्ता की अपील को भी खारिज कर दिया। 21 दिसंबर, 2017 के आदेश में कहा गया है, '21.12.2017- हमें अपने 20 नवंबर, 2017 के अंतरिम आदेश को संशोधित करने का कोई आधार नजर नहीं आता. वास्तव में, स्थगन आदेश अपीलकर्ता के विद्वान वकील के अनुरोध पर पारित किया गया था और समय के भीतर राशि जमा नहीं करने के बाद, राशि जमा करने के लिए 4 दिसंबर, 2017 को अंतिम अवसर दिया गया था। 4 दिसंबर, 2017 के आदेश के अनुसार, अपील अब पीठ को आगे भेजे बिना निपटा दी गई है। 4 दिसंबर, 2017 के उपरोक्त आदेश के मद्देनजर, आईए नंबर 84/2017 और प्रतिस्पर्धा अपील (एटी) संख्या 24/2017 दोनों को अपीलीय न्यायाधिकरण का पालन न करने के लिए निपटाया जाता है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत एक शुद्ध कानूनी दलील यह है कि भले ही अपीलकर्ता 4 दिसंबर, 2017 के आदेशों का पालन नहीं कर सका, जिसके तहत अपीलकर्ता को जुर्माना राशि का 10% जमा करने का निर्देश देते हुए सशर्त रोक लगाई गई थी, लेकिन इसका अधिकतम प्रभाव दिए गए स्थगन को खाली करना था और अपीलीय न्यायाधिकरण अपील को खारिज करने में कानूनी रूप से उचित नहीं था। अपीलकर्ता की यह दलील स्वीकार करने की सराहना करती है, जिसमें कानून में उचित बल और सार है।

6. ऊपर वर्णित तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि सीसीआई के आदेश को अधिनियम की धारा 53 बी के तहत अपील दायर करके चुनौती दी गई थी। इस अपील के साथ, अपीलकर्ता ने अपील के लंबित रहने के दौरान सीसीआई के आदेश के संचालन पर रोक लगाने के लिए आवेदन भी दायर किया था। जहां तक स्थगन का संबंध है, अपील स्वीकार कर ली गई थी, जिसे इस शर्त के अधीन स्वीकार किया गया था कि अपीलकर्ता सीसीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि का 10% जमा करेगा। इस संदर्भ में यह समझने की जरूरत है कि जमा राशि की शर्त स्थगन के आदेश के साथ जुड़ी हुई थी। उक्त शर्त का अनुपालन न करने का परिणाम यह होगा कि स्थगन की शर्त पूरी

नहीं होने के कारण स्थगन का क्रियान्वयन रूक जायेगा क्योकि स्टे की शर्तें पूरी नही हुई थी। हालांकि, जहां तक मुख्य अपील का संबंध है, रोक के सशर्त आदेश का पालन न करने का कोई असर नहीं होगा। अपील का अधिकार वैधानिक रूप से अधिनियम की धारा 53 बी के तहत प्रदान किया गया है, जो निम्नानुसार है:

"53 बी। अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील। (1) धारा 53 क के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी निदेश, निर्णय या आदेश से व्यथित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण या उद्यम या कोई व्यक्ति अपीलीय अधिकरण में अपील कर सकता है। (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर दायर की जाएगी जिस दिन आयोग द्वारा किए गए निदेश या निर्णय या आदेश की एक प्रति केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या उद्यम या उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है और यह ऐसे रूप में होगी और उसके साथ ऐसा शुल्क भी होगा जो विहित किया जाए: बशर्ते कि अपीलीय न्यायाधिकरण साठ दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि उस अवधि के भीतर इसे दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

(3) उपधारा (1) के अधीन अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय अधिकरण, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे, उस निदेश, विनिश्चय या अपील के विरुद्ध अपील किए गए निदेश, विनिश्चय या आदेश को निरस्त कर सकेगा।

(4) अपीलीय अधिकरण अपने द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति आयोग और अपील के पक्षकारों को भेजेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन अपीलीय अधिकरण के समक्ष दायर अपील का निपटान उसके द्वारा यथाशीघ्र किया जाएगा और उसके द्वारा अपील प्राप्त होने की तारीख से छः माह के भीतर अपील का निपटान करने का प्रयास किया जाएगा। मैसर्स बी हिम्मतलाल अग्रवाल बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और ए.एन.आर। [ए.के. सीकरी, जे.]

7. इस प्रकार, उपर्युक्त प्रावधान, इसमें उल्लिखित किसी भी पीड़ित पक्ष को अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने का अधिकार प्रदान करता है। यह सांविधिक प्रावधान अपील पर विचार करने के लिए पूर्व–जमा की कोई शर्त नहीं लगाता है। इसलिए, अपील दायर करने और गुण–दोष के आधार पर उक्त अपील पर निर्णय लेने का अधिकार, यदि यह सीमा की अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो कानून द्वारा प्रदत्त है और इसे राशि जमा करने की शर्त लगाकर नहीं छीना जा सकता है, जिससे उक्त शर्त पूरी न होने पर मुख्य अपील को खारिज कर दिया जा सकता है। स्थिति अलग होती यदि अपील के प्रावधान में ही कुछ राशि के पूर्व–जमा की शर्त शामिल होती। ऐसा नहीं है। धारा 53 बी की उप–धारा (3) विशेष रूप से अपीलीय न्यायाधिकरण पर अपील पर आदेश पारित करने का कर्तव्य डालती है, जैसा कि वह उचित समझता है यानी या तो निर्देश, निर्णय या आदेश के खिलाफ पुष्टि करना, संशोधित करना या रद्द करना। अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसा किया जाना है। इस प्रकार, इसका स्पष्ट अर्थ है कि अपील पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

अपीलीय अधिकरण, विधायन द्वारा निर्मित है, को कानून/सांविधिक प्रावधान द्वारा निर्धारित क्षेत्र के भीतर कार्य करना होता है। यह प्रावधान कहीं भी यह निर्धारित नहीं करता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलकर्ता को अपील की सुनवाई के लिए एक शर्त के रूप में एक निश्चित राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है। वास्तव में, यह तत्काल मामले में भी नहीं किया गया था। पुनरावृत्ति की कीमत पर यह कहा गया है कि जहां तक सीसीआई द्वारा पारित दंड आदेश पर रोक लगाने का संबंध है, जुर्माने की 10% जमा करने की शर्त लगाई गई थी। इसलिए, अधिक से अधिक, स्टे को समाप्त किया जा सकता था। इस प्रकार, अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अपील को खारिज करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।

8. हम उल्लेख कर सकते हैं कि सीसीआई की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया था। उक्त निर्णय का इस मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं है। यह एक ऐसा मामला था जहां अपीलकर्ता ने अपीलीय न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार को सशर्त आदेश पारित करने के लिए चुनौती दी थी यानी स्थगन देने के लिए एक शर्त के रूप में जुर्माना का 10% जमा करना। यह तर्क दिया गया था कि अपीलीय न्यायाधिकरण के पास स्थगन आदेश देने के लिए ऐसी शर्त लगाने की कोई शक्ति नहीं है। इस चुनौती को न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अपीलीय न्यायाधिकरण सशर्त स्थगन आदेश पारित कर सकता है। तत्काल अपील में उठा ऐसा कोई मुद्दा उसमें नहीं उठाया गया था, अर्थात् यदि स्थगन प्रदान करने से संबंधित शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है तो क्या अधिकरण अपील को स्वयं खारिज कर सकता है।

9. तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और आक्षेपित आदेश के उस हिस्से को रद्द करते हैं जिसके तहत अपीलकर्ता की अपील खारिज कर दी जाती है और अपील को पुर्नस्थापित करते हैं जिसे अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा गुण–दोष के आधार पर निर्णीत किया जाएगा। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि जहां तक जुर्माना आदेश पर रोक का सवाल है, यह जुर्माना 10% जमा करने की शर्त का पालन नहीं करने के लिए अपास्त कर दिया गया था और इस प्रकार, अपीलकर्ता के पक्ष में सीसीआई के आदेश पर कोई रोक नहीं है।

कोई हर्जा नहीं। अपील स्वीकार की गई।

(तबरेज अहमद)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कक्ष सं०–10 बरेली

J.O CODE NO. UP 6298